

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अ धि सू च ना ॥

संख्या-14/प्रो० 119/2016 1958 पटना-15, दिनांक-17-2-17
सा०प्र०-बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव/समकक्ष स्तर
(पे-बैंड ₹ 37,400- 67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,700/-), के श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, कोटि क्रमांक-413/11
अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अरवल (अपर समाहर्ता
स्तर का पद संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित) को विभागीय परिपत्र सं०-4800 दिनांक-1.04.2016 के आलोक में
अपर सचिव/ समकक्ष स्तर (पे-बैंड ₹ 37,400-67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,900/-) में दिनांक -1.10.2016 के
प्रभाव से वैचारिक रूप से प्रोन्नति दी जाती है।

2. उपर्युक्त प्रोन्नति औपबंधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०)
संख्या-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित
होगी।

3. श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, कोटि क्रमांक-413/11 द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक के
लिए अपर सचिव/समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुये उन्हें उसी पद पर पदस्थापित किया जाता।

4. श्री सिन्हा को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 14/प्रो० 119/16 सा०प्र०-1958 / पटना-15, दिनांक-17-2-17
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (
आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार,
पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन
विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, अरवल/जिला कोषागार
पदाधिकारी, अरवल/ श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, कोटि क्रमांक-413/11 अपर समाहर्ता (लोक शिकायत
निवारण)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अरवल / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के
सभी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना
को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।